



सिंचाई से समृद्धि


इनेज मण्डल, बलिया

सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया

शेडर

चौधरी चरण सिंह पम्प हाउस सुरहाताल

सुरहाताल पम्प हाउस



दो. स. प. शीर्ष स्थल

नहरों से सम्बन्धित अधिकारी

क्र०	पदनाम	अधिकारी का नाम	स्थान	समय	सम्बन्धित नहर	टेलीफोन/मो०नं०
1.	अधीक्षण अभियन्ता	श्री ए० के० राय	बलिया	10 बजे से 5 बजे तक	सुरहाताल पम्प नहर प्रणाली	22064 (का.) 220279 (आ.)
2.	अधिशासी अभियन्ता	श्री नन्द जी गुप्ता	बलिया	"	"	220413 (का.) 220024 (आ.)
3.	सहा. अभियन्ता तृतीय	श्री श्याम सुन्दर जायसवाल	बलिया	"	"	9415810429
4.	उप राजस्व अधिकारी	श्री रवीन्द्र नाथ सिंह	बलिया	"	"	9307991832
5.	जिलेदार तृतीय	श्री रवीन्द्र नाथ सिंह	बलिया	"	"	9307991832
6.	अवर अभियन्ता	श्री निमीष कुमार गुप्ता	बांसडीह	"	"	9648500489

उन नहरों का नाम जिन पर पानी आंशिक भाग तक पहुँचेगा

क्र०	नहर का नाम	कुल लम्बाई (किमी०)
1.	खरौनी माइनर	6.900
2.	केवरा माइनर	11.800
3.	सहतवार माइनर	8.000
4.	चांदपुर माइनर	1.800

जल ही जीवन है।



कृषकों हेतु सूचना

1. नहरों के चलने का कार्यक्रम सम्भावित है। विद्युत आपूर्ति, वर्षा एवं अन्य तकनीकी कारणों से कार्यक्रम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षण अभियन्ता की है।
2. नहर प्रस्तावित सप्ताह से पूर्व सप्ताह में चलने पर प्रस्तावित सप्ताह में बन्द रह सकती है। राजवाहों को प्रस्तावित सप्ताह में न चलने पर इसे बाद के सप्ताह में चलाने का प्रयास किया जायेगा।
3. नहरों के अन्तिम छोर पर पानी न पहुँचने पर कृपया निकटतम तार घर अथवा प्रभारी अवर अभियन्ता या सहायक अभियन्ता को सूचित करें।
4. नहर में खादी या कटिंग होने पर कृपया इसके शीर्ष के प्रभारी टिन्डेल, तार घर अथवा सम्बन्धित अवर अभियन्ता को सूचित करें।
5. नहरों में अनाधिकृत कुलावे लगाना, नहर की कटिंग करना तथा बन्धे लगाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

नहरों से सम्बन्धित समस्याओं हेतु

1. अधीक्षण अभियन्ता
 - (1) कुलावा परिवर्तन स्वीकृति, विभाजन, वहन एवं स्थान परिवर्तन।
 - (2) तावान के विरुद्ध अपील, अपील की मियाद अ०अ० के निर्णय दिनांक से एक माह है।
2. अधिशासी अभियन्ता
 - (1) फसली कुलावे
 - (2) वार बन्दी
 - (3) राजवाहों का संचालन
 - (4) नहर की पटरी पर वाहन चलाने हेतु परमिट।
3. सहायक अभियन्ता
 - (1) कुलावे स्थान एवं दहन की त्रुटि।
 - (2) पानी की मात्रा एवं राजवाहों के निकास में परिवर्तन।
4. अवर अभियन्ता
 - (1) अन्तिम छोर तक पानी पहुँचाने के सम्बन्ध में।
 - (2) खादी
 - (3) पटरी सुदृढीकरण
 - (4) निकास
5. उपराजस्व अधिकारी
 - (1) नहर अधिनियम के अन्तर्गत वाद।
 - (2) सिंचाई कर के विरुद्ध शिकायत का निस्तारण।
6. जिलेदार
 - (1) सिंचाई, पुस्तक प्राप्ति एवं इसमें अंकन।
 - (2) अपवासी पर्चे में त्रुटि का निस्तारण।
7. सीच पर्यवेक्षक
 - (1) अपवासी पर्चे में त्रुटि का निस्तारण।
 - (2) सिंचाई पुस्तक में अंकन।
9. तार बाबू
 - (1) चलित नहरों की सूचना।

पानी अनमोल है। इसे बरबाद न होने दें, इसकी बचत करें।

